सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 105/2015 अपील (RCMS/2015/00048)
पंजीयन दिनांक — 06.08.2015
निर्णय दिनांक — 11.09.2018

1. श्री रतन पिता चुन्नीलाल कुम्हार, निवासी उदलपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती सीता पिता चुन्नीलाल कुम्हार, निवासी उदलपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती लेहरी बेवा चुन्नीलाल कुम्हार, निवासी उदलपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती केसर पिता बालू पत्नी तोलीराम कुम्हार, मृतक के बजाय

   1/1 श्री टोलीराम पिता कसना कुम्हार, निवासी मोरठ, तहसील मावली जिला उदयपुर मृतक के बजाय

   1/1/1 श्री भेरूलाल पिता कसना कुम्हार, निवासी मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती अणछायी पिता बालू पत्नि नाथूलाल कुम्हार, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती प्रेमी पिता चुन्नीलाल कुम्हार, निवासी उदलपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री पी.सी. पालीवाल — वकील रेस्पोडेंट संख्या— 2

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द का प्रकरण संख्या 20/2013 निर्णय दिनांक 29.06.2015

निर्णय

दिनांक 11.09.2018

अपीलान्ट द्वारा धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द का प्रकरण संख्या 20/2013 निर्णय दिनांक 29.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इसमें मूल पुरूष श्री बालू कुम्हार थे, जिन्होने श्री चुन्नीलाल कुम्हार को गोद लिया। बालू की पत्नि श्रीमती भगवानी एवं दो जायन्दा पुत्रियां अणछाई एवं केसर थी। अधीनस्थ न्यायालय में श्रीमती केसर ने एक अपील इस आशय से प्रस्तुत की कि तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 257 दिनांक 02.05.1998 बालु पिता देवा कुम्हार की मृत्यु होने पर विधिक वारिसान की जांच किये बिना स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द में निर्णय दिनांक 29.06.2015 में यह कहते हुए प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को मामलें में नये सिरे बालु के वारिसान की जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही करने बाबत रिमाण्ड किया, कि–

> ''तहसीलदार रेलमगरा द्वारा बालु की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जाकर श्री चुन्नीलाल पिता बालु के नाम नामान्तरकरण खोला गया है। बालु के कोई पुत्र नहीं था, चुन्नीलाल तिलोक का पुत्र था। जबकि बालु के दो जायन्दा पुत्रियां अणछाई एवं केसर थी। जो बालु की पत्नि श्रीमती भगवानी की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्याा 396 दिनांक 19.06.2010 से प्रमाणित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 02.05.1998 बिना वारिसान की जांच किये विधि एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य कोई ठोस कारण या सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में मैं उक्त मामलें में पुनः नियमानुसार बालु के वारिसानों की जांच एवं चुन्नीलाल के नाम खोले गये नामान्तरकरण की जांच कार्यवाही की जाकर प्रकरण को नये सिरे से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।''

उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.08.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में मूल पुरूष श्री बालू कुम्हार थे, जिन्होने श्री चुन्नीलाल कुम्हार को गोद लिया जिस हेतु उसकी पत्नि ने लिखा पढ़ी की और गोद की रस्म पुरे रीती रिवाज से की गई। बालु का स्वर्गवास 1995 में हुआ जिनका काज कर्यावर कार्य चुन्नीलाल द्वारा किया गया। चुन्नीलाल ने ही बहनों का मायरा भी किया। बालू के स्वर्गवास होने के बाद उसकी जमीन 1/2 हिस्से की चुन्नीलाल के नाम दर्ज हुई व 1/2 हिस्से की जमीन उसकी पत्नि भगवानी के नाम दर्ज हुई। भगवानी की मृत्यु होने के उपरान्त उसके हिस्से की 1/2 जमीन केसर व अणछायी के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार खाते में 1/2 हिस्सा चुन्नीलाल के नाम दर्ज हुई व 1/2 हिस्सा केसर व अणछाई के नाम दर्ज हुआ। चुन्नीलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है, उनके हक हिस्से की जमीन अपीलान्ट रतनलाल व लेहरी बेवा चुन्नीलाल के नाम दर्ज हुआ तथा अब करीब 17 वर्षों बाद कथित म्यूटेशन के विरूद्ध केसर को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि म्यूटेशन की कार्यवाही समरी कार्यवाही है, इसमें राइट टाईल तय नही होते है एवं केसर के अगर कोई खातेदारी अधिकार बनते तो धारा 63(4) के अनुसार समाप्त हो जाते है तथा कब्जाधारी खातेदार काश्तकार बन जाता है। प्रकरण में चुन्नीलाल की माता भगवानी के स्वर्गवास तक कोई विवाद नहीं हुआ, उनके मृत्यु उपरान्त यह विवाद 15 वर्ष उपरान्त अपील प्रस्तुत कर किया गया। अगर वास्तव में कोई विवाद होता तो अपील सन् 1998 में की जानी थी। कथित म्यूटेशन की जानकारी मौजूदा रेस्पोडेंट केसर को सन् 1998 में ही हो गयी थी फिर भी इतने वर्ष उपरान्त मयाद बाहर अपील पेश करी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील 15 वर्ष मयाद बाहर होते हुए भी मयाद कण्डोन के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया। मयाद के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं देकर सीधे ही अपील स्वीकार कर कथित नामान्तकरण को निरस्त करने हुए मामला रिमाण्ड करने का आदेश दिया बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। वर्ष 1997 में जो म्यूटेश चुन्नीलाल पिता बालू व भगवानी बेवा बालू कुम्हार के नाम स्वीकृत किया गया व जांच करने के बाद स्वीकृत किया था इसे अब चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी पक्ष द्वारा कोई हक अधिकार क्लेम करता है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर अपने अधिकारों को तय करा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अपने कथन के सर्मथन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये है – 2011 (1) RRT 421, RBJ (16) 2009 Page 786, 2013(1) RRT 546, 2009(1) CT (SC) Page 85

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अपनी बहस में बताया कि अन्तर्गत धारा 17 रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 अनुसार दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, बताया है। 01 जनवरी 1872 के बाद दत्तक (गोद) गोदनामा रजिस्टर होना आवश्यक है। इस प्रकरण में कोई गोदनामा लिखित में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द ने अपने निर्णय में उनके समक्ष देरी से अपील प्रस्तुत करने एवं अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया कर आदेश पारित किया जो की निर्णय के प्रथम पृष्ठ के अंतिम पेरा से स्पष्ट है। नामान्तरकरण संख्या 257 को निर्णित करने में तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा कोई जांच नही की गई और न ही रेस्पोडेंट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में सभी तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर पूर्ण विचार करने उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा निर्णय पारित कर प्रकरण तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया गया जो पूर्णतया विधिसम्मत हैं ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

अपने कथन के सर्मथन में विद्वान वकील रेस्पोडेंट–2 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये है – RRD 1991 Page 426

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती केसर अनुसार तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 257 दिनांक 02.05.1998 बालु पिता देवा कुम्हार की मृत्यु होने पर विधिक वारिसान की जांच किये बिना स्वीकृत किया गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2015 अनुसार राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी कथन किया गया कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 02.05.1998 बिना वारिसान की जांच किये खोला गया, जबकि चुन्नीलाल बालु का पुत्र नहीं है। चुन्नीलाल तिलोक का पुत्र था। जबकि बालु के दो जायन्दा पुत्रियां अणछाई एवं केसर थी, जो राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है। उक्त तथ्यों के परिक्षण एवं विश्लेषण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 02.05.1998 अपास्त कर उनके निर्णय में वर्णित आर्ब्जरवेशन को मध्यनजर रखते हुए मामलें में नये सिरे से

बालु के वारिसान की जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही बाबत प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को रिमाण्ड किये जाने का आदेश दिया। उपरोक्त विवेचन से अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 29.06.2015 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 29.06.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर